



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1042

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19453 वर्ष 2025

राजीव प्रकाश

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता: अस्तित्व श्रीवास्तव, सस्मिता श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अस्तित्व श्रीवास्तव और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उनकी सर्जरी हुई है और वे ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वे विकास खंड- लालौरीखेड़ा, पीलीभीत से विकास खंड बिलसांडा, पीलीभीत में स्थानांतरण/पदस्थापना की मांग कर रहे हैं।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा किया जाना चाहिए।
4. अधिवक्ताओं द्वारा इस प्रकार से प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण किया गया**, रिट याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष प्रस्तुत करे, जो उक्त प्रस्ताव पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

6 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।